


# FROM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारी अहकाम जो हुकम की तारी में जारी हुए</p>
<p>22.11.2021</p>	<p>पत्रावली पैरा 12। अग्निधारी तहसीलदार डूंगला से प्रस्तावित शक्ति शक्ति की श्री एल.सी. दर से युवुनी शक्ति जडिमे ई. पावन से शक्ति 63094। - तहसीलदार चौराणु कपड़े मात्र राज्यकोषमें जमा हो चुके हैं। माछाग की प्रति संलग्न पत्रावली है। अतः साधु का साधुना पत्र राजस्थान काराकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(A) के अन्तर्गत प्रावधान अनुसार निरस्त योग्य है। साधु का साधुना पत्र अन्तर्गत धारा 251(B) अनु. 2. ए. स्वीकार किया जाता है। विधायक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विधायक की प्रति पावनार्थ तहसीलदार डूंगला को भेजी जावे। पत्रावली में एक कोर्ट कार्यवाही शेष नहीं रहनी है। पत्रावली कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली पैरा 12 श्रुमाट डोक नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उपसचिव अधिकारी</b>  <b>डूंगला</b> </p>	

